उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-81/2015/3289/92-1-2015-18(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को अधोतालिका के स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित उनकी वर्तमान तैनाती के साथ-साथ शासकीय कार्यहित /जनहित में अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर रिक्त अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद के कार्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1-	श्री रामनाथ सोनकर	पी0आई0यू0-महराजगंज	प्रखण्ड-महराजगंज
2-	श्री हसनैन अहमद	पी0आई0यू0-फैजाबाद	प्रखण्ड-फैजाबाद
3-	श्री अजय सिंघल	पी0आई0यू0-बुलन्दशहर	प्रखण्ड-बुलन्दशहर
4-	श्री राम प्रसाद राम	पी0आई0यू0-सिद्धार्थनगर	प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर
5-	श्री पी0के0 त्रिवेदी	पी0आई0यू0-भदोही	प्रखण्ड-भदोही
6-	श्री परेवज	पी0आई0यू0-महोबा	प्रखण्ड-महोबा

2- उक्त अधिशासी अभियंताओं को अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों को सम्पादित किये जाने हेतु उन्हें किसी प्रकार अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- प्रश्नगत पदों के अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं स्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-81/2015/3289(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://s as nadesh.up.ni .in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।